235

प्रेषक,

संख्या– 524/11–3–2018–103/2017

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–3 लखनऊःदिनांकः 24अप्रैल, 2018

विषयः– मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्मिकों को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम–2017 के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग में नियुक्त/संविलीन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मनोरंजन कर विभाग उ0प्र0 के कार्मिकों को उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम–2017 के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से संविलियन किये जाने के फलस्वरूप सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) निम्न वर्णित अधिनियम/नियमावलियों एवं विभिन्न आमोदों के विनियमन से संबंधित अन्य सुसंगत विधिक प्राविधानों का कार्य वाणिज्य कर विभाग द्वारा निष्पादित किया जायेगा :–

1. केबिल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995
2. केबिल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994
3. उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955
4. उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951
5. उत्तर प्रदेश (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन) नियमावली, 1988

उपरोक्त अधिनियमों/नियमावली के अधीन निर्धारित अधिकार एवं कर्तव्य [illegible] में अधिकृत अधिकारियों व इनके समकक्ष/उच्चतर वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को भी उपलब्ध होंगे। जनपद स्तर पर उक्त कार्य पूर्व की भांति जिलाधिकारी/[illegible] मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया जाता रहेगा।

(2) वाणिज्य कर विभाग में मनोरंजन से संबंधित कार्यों के निस्तारण हेतु [illegible] आयुक्त स्तर के 02 पद (आयुक्त, मनोरंजन कर के स्थान पर एक पद आई0ए0एस0 संवर्ग का एवं एक पद पी0सी0एस0 संवर्ग का) वाणिज्य कर विभाग में स्थानान्तरित किया जाता है।

(3) उपर्युक्त प्रस्तर (1) में वर्णित अधिनियमों/नियमावलियों में मनोरंजन कर आयुक्त, उ0प्र0 को प्राप्त अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा किया जायेगा।

(4) मनोरंजन कर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियो का वाणिज्य कर विभाग में संविलियन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से मनोरंजन कर विभाग समाप्त किया जाता है। इसमें तैनात समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी वाणिज्य कर विभाग के पर्यवेक्षण व नियंत्रण में कार्यरत होंगे। जिन आधिकारियो/कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी आयुक्त, मनोरंजन कर हैं, उनके नियुक्ति प्राधिकारी आयुक्त अथवा अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, जैसी भी स्थिति वाणिज्य कर विभाग में समकक्ष कार्मिकों की हो, होंगे। समूह-"घ" के कार्मिको के नियुक्ति अधिकारी वाणिज्य कर विभाग के समूह-"घ" के नियुक्ति अधिकारी होंगे।

(5) मनोरंजन कर विभाग के संविलीन अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु मनोरंजन कर विभाग में वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के आहरण एवं वितरण का अधिकार आयुक्त, मनोरंजन कर के स्थान पर आयुक्त, वाणिज्य कर, उ0प्र0 में निहित होगा।

मनोरंजन कर विभाग के संविलीन किये जा रहे कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण और अन्य सेवा शर्तों आदि का निर्धारण कार्मिक, वित्त एवं संबंधित विभागों के परामर्श से बाद में किया जायेगा। इन अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों, इनके क्षेत्राधिकार एवं आवश्यकता का निर्धारण आवश्यक अध्ययन करने के उपरान्त यथा समय किया जायेगा।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।